BULANDSHAHR POLICE

दिनांक 31 अगस्त 2024

"ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर एनडीपीएस एक्ट के आरोपी को 01 वर्ष 09 माह का कारावास व 05 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयी:-

अवगत कराना है कि अभियुक्त फैसल पुत्र कलुआ निवासी सलेमपुर रोड चौधरा वाडा थाना सिकन्द्राबाद जनपद बुलन्दशहर के कब्जे से वर्ष 2017 में 300 नशीली गोली बरामद हुई थी जिसके सम्बन्ध में दिनांक 01.05.2017 को थाना सिकन्द्राबाद पर मुअसं- 341/2017 धारा 21/22 NDPS Act. पंजीकृत किया गया तथा दिनांक 17.05.2017 को पुलिस द्वारा मा0 न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान "ऑपरेशन कन्विक्शन"के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई जिसमें अभियुक्त के विरुद्ध 02 गवाह परिक्षित हुए जिसके परिणामस्वरुप **आज दिनांक 31.08.2024 को न्यायाधीश श्री अभिमन्यु सिंह (मा0 न्यायालय एडीजे-04 जनपद बुलन्दशहर) द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त फैसल को 01 वर्ष 09 माह का कारावास व 05 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।** अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक श्री अरविन्द शर्मा व श्रीमती संघमित्रा का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता हैं।

मीडिया सेल बुलन्दशहर